न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 37 / 2020

1– करन पुत्र तोता जाति माली निवासी इन्द्रोली तहसील व थाना कामां जिला भरतपुर (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1– रामसहाय पुत्र चिरंजी जाति माली निवासी इन्द्रोली तहसील व थाना कामां ।
2– वासुदेव पुत्र नत्थी जाति माली निवासी इन्द्रोली तहसील व थाना कामां ।
3– खूबीराम पुत्र नत्थी जाति माली निवासी इन्द्रोली तहसील व थाना कामां।
4– मनोज पुत्र नत्थी जाति माली निवासी इन्द्रोली तहसील व थाना कामां ।

.....अप्राथीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी कामां श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस0 बावत मुकदमा फौजदारी नं0 02 / 2019 उनवानी सरकार बनाम तोताराम ।

निर्णय **दिनांक 25.11.2020**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम इन्द्रोली तहसील कामां स्थित आराजी खसरा नम्बर 340 / 0.44, 398 / 0.19, 547 / 0.57, 548 / 0.50, 552 / 0.83 प्रार्थी के पिता स्व0 तोताराम की खातेदारी में है, और मौके पर प्रार्थी व उनके भाईयों का कब्जा है। उक्त आराजी की बावत राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश 22.05.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2018 से यथास्थिति के आदेश पारित कर रखे हैं।

अप्रार्थीगण लठैत किस्म के व्यक्ति हैं, और उनके राजनैतिक नेताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, इसलिए अप्रार्थीगण कानून को ताक पर रख कर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से प्रार्थी की आराजी पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए थानाधिकारी कामां से धारा 145 जा0फौ0 के तहत एक इश्तगासा उपखण्ड अधिकारी, कामां के यहां प्रस्तुत

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:23:57 IST
Reason: SelfAttested

करा दिया है। उपखण्ड अधिकारी कामां श्री विनोद कमार मीणा उक्त इश्तगासा में जल्दी–जल्दी तारीख पेशी देना प्रारम्भ कर दिया है, साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि मुझ पर राजनैतिक दबाब है, इसलिए मुझे प्रकरण में तुरन्त कार्यवाही कर रिसीवर नियुक्त करना है। अप्रार्थीगण ने भी गांव में जाकर कहा है कि मेरी अधिकारी से सैटिंग हो गई है। प्रकरण में जल्दी ही रिसीवर नियुक्त करवा दूंगा। पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीणा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 उनवानी सरकार बनाम तोता बगै0 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी कामां से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया, जो शामिल मिसिल है। उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण की सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी के पिता की खातेदारी में है, और मौके पर प्रार्थी व उनके भाईयों का कब्जाकाश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं। अप्रार्थीगण के राजनैतिक नेताओं से सम्बन्ध है, इसलिए कानून को ताक पर रख कर आराजी पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहते है। उपखण्ड अधिकारी कामां राजनैतिक दबाब में है, और अप्रार्थीगण से मिले हुये है, इसलिए आराजी पर गैरकानूनी तरीके से रिसीवर नियुक्त करना चाहते हैं। यदि प्रार्थी की आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर दिया तो प्रार्थी का परिवार बर्बाद हो जावेगा। इस कारण प्रार्थी को श्री विनोद कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी कामां से प्रकरण में न्याय की कोई आशा नहीं है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कामां विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 उनवानी सरकार बनाम तोता बगै0 को किसी अन्य समकक्ष राजस्व अदालत में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुये जाहिर किया है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा न होकर, अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजी को लेकर आये दिन झगडा होता रहता है। थानाधिकारी कामां द्वारा इस विवाद को

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:23:57 IST
Reason: SelfAttested

समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.पी.सी एसडीएम कामां के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र 145 सी.पी.सी को निर्णित नही होने देना चाहते है। प्रकरण के निस्तारण को विलम्ब करने के उद्देश्य से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद है। दोनों पक्षों के आपसी तनाजा के कारण प्रकरण में परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से थानाधिकारी कांमा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय में कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो। प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढंत व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:23:57 IST
Reason: SelfAttested